

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा
मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, जनता कॉलोनी, जयपुर।

क्रमांक प. 15(47)डीएमई/राजमेस/नोडल ऑफिसर/2020 / 3206

दिनांक 13/7/2021

परिपत्र

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा एवं निदेशक, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस) के द्वारा नियुक्त नवीन मेडिकल कॉलेजों के नोडल अधिकारीगण द्वारा की जाने वाली सम्बन्धित नवीन मेडिकल कॉलेज की यात्रा राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 द्वारा शासित होगी।

इस क्रम में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 के नियम 8(1) के परिशिष्ट-1A टिप्पणी सं. 7 के अनुसार नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं की कार से यात्रा उनके 'नियंत्रक प्राधिकारी' (Controlling Authority)/मूल पदस्थापन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ही की जायेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग
एवं निदेशक, राजमेस

क्रमांक प. 15(47)डीएमई/राजमेस/नोडल ऑफिसर/2020

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, अलवर, बारां, करौली, बूंदी, दौसा, टोंक, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, झुन्झुनू एवं हनुमानगढ़।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड, आर.यू.एच.एस. जयपुर।
5. आर.यू.एस. जयपुर।
6. संबंधित नोडल अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, अलवर बांसा करौली, बूंदी, दौसा, टोंक, बांसवाडा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जैसलमेर, नागौर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, झुन्झुनू एवं हनुमानगढ़।
7. रक्षित पत्रावली।

— 5d/ —

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग
एवं निदेशक, राजमेस